Presented by
Adv. S.L. Menariya
Reader checked
14/1/2020

1

सेवामें,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

निम्बाहेडा राज0

श्री आकाश पारख पुत्र पारस मल पारख जाति जैन आयु वयस्क निवासी बडा होली थडा निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

......वादी

//बनाम//

1. श्री श्यामलाल पिता श्रीलाल कंजर जाति कंजर आयु वयस्क निवासी पिपलिया कलां तह0 निम्बाहेडा राज0
2. मांगी बाई पत्नि श्यामलाल कंजर जाति कंजर आयु वयस्क निवासी पिपलियॉ कलां तह0 निम्बाहेडा राज0

......प्रतिवादीगण

**वाद तहत धारा 183 व 209 रा0का0अधि0**

मा0 महोदय,

वाद वादी तहत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा0दी0 वादी की और से निम्न प्रकार पेश हैः–

1. यह कि ग्राम पिपलिया कलां प0ह0 जलिया तह0 निम्बाहेडा की खाता सं0 नया 276 की आ0नं0 56 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, आ0नं0 890/58 रकबा 0.8600 हेक्टेयर, आ0नं0 891/54 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.0900 हेक्टेयर कुल लगानी 7.41 रूपये होकर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि मुझ वादी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, निम्बाहेडा के समक्ष अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवार हल्का जलिया द्वारा आराजी की मोके की नप्ती कर रिपोर्ट बनायी जिसमें वादी की आराजी नं0 56 रकबा 0.12 हेक्टेयर के उत्तरी पूर्वी कोने पर एक कच्ची झोपडी पत्थरो

में बनी है, प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी नं0 53 के उत्तरी पूर्वी कोने पर झोपडी बना कर कब्जा कर रखा है, जब राजस्व कर्मचारीयो व वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मोके पर विवाद कर वादी की भूमि पर से अपना कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया, जिस पर राजस्व कर्मचारीयो द्वारा मोके पर रिपोर्ट बना कर सभी को पढ कर सुनायी गयी प्रतिवादीगण ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से साफ इंकार कर दिया, व मोके पर विवाद करने लग गये, व अपना कब्जा हटाने से भी साफ इंकार हो गये। मोका रिपोर्ट की प्रति साथ संलग्न है।

3. यह कि उपरोक्त आराजीयात वादी की खातेदारी की आराजीयात है जिस से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है, प्रतिवादीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी की आराजी को हडपने की नियत से उस पर झोंपडी बना कर कब्जा कर रखा है, वादी प्रतिवादीगण से अपनी आराजी का कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

4. यह कि वाद कारण मोका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। तथा अभी हाल में दिनांक 05.01.2026 को जब वादी अपनी आराजी की सफाई कराने गया तो प्रतिवादीगण ने कब्जे शुदा आराजी की सफाई करने से साफ इंकार कर दिया व मोके पर विवाद करने लगे, जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर वाद कारण निरंतर जारी है।

5. यहकि आराजीयात वाके मोजा पिपलिया कलां पह. जलियॉ तह0 निम्बाहेडा स्थित होकर व पक्षकरान मुकदमा भी तहसील निम्बाहेडा के होने से वाद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

6. यह कि वाद मालियत 10,00,000/–रूपये कायम की जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राज0का0अधि0 का होने से तथा राजस्थान कोर्ट फिस अधिनियम में निश्चित कोर्ट फिस होने से वादी का वाद पूर्ण कोर्ट फिस पर पेश है।

Akash Kumar

योगेन्द्र

7. यह कि वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:—

(क) यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात मेसे आराजी नं0 52 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने पर जो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने कच्ची झोपडी बना कर अवैध कब्जा है जिसे हटाया जाकर वादी को अधिपत्य सिपूर्द कराया जावे।

(ख) यह कि खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादीगण से दिलाया जावे व अन्य कोई सहायता जो वादी के पक्ष में हो सादीर फरमाई जावें।

दिनांक 14/1/26 योगेन्द्र वादी

## सत्यापन

मै वादी सशपथ सत्यापित करता हूं कि वाद पत्र की कलम नं0 एक से अन्त में अंकित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व जानकारी से व मेरे विधिक परामर्शदाता की राय से सही एव सत्य है।

दिनांक 14/1/26 ...............

## शपथ–पत्र

सेवामें,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

निम्बाहेडा राज0

आकाश पारख //**बनाम**// श्यामलाल कंजर वगैरा

**वाद तहत धारा 183 व 209 रा0का0अधि0**

मा0 महोदय,

वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र ओर से श्री श्री आकाश पारख पुत्र पारस मल पारख जाति जैन आयु वयस्क निवासी बडा होली थडा निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 का निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि वाद पत्र की कलम नं0 एक से अन्त तक में हमने सही सही तथ्यों का अंकन करवाया है कोई भी तथ्य गलत अंकित नही करवाया है मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से वाद पत्र के सभी तथ्यों को दोहराता हूं।

दिनांक 14/1/26

## सत्यापन

मैं सशपथ सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की कलम नं0 एक से अन्त तक सही होकर सत्य है।

दिनांक 14/1/26

सत्यदेव मौड़ दस्तावेज लेखक, चित्तौड़गढ़ मो. : 98280–45793

अनुसूची एच/फार्म नं. 5

# वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की सूची

**( आदेश 13 का नियम 1 )**

श्री न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय, निम्बाहेड़ा

आकाश पारख वादी

बनाम

श्यामलाल प्रतिवादी

वाद संख्याक सन् 26

| संख्याक | दस्तावेज का वर्णन | यदि दस्तावेज पर तारीख पड़ी है तो वह तारीख | पक्षकार या प्लीडर के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ① | नकल जमाबंदी मौजा पिपलिया कला सम्वत 2077-2080 | 12/1/26 | सबूत |
| ② | नकल तहरीर दस्ती कार्यालय तहसीलदार सा. निम्बाहेड़ा | 8/10/25 | |
| ③ | नकल मौका रिपोर्ट मय पं. हलका जरिया | | |
| ④ | नकल फोटोप्रतिलिपि तहरीर उपखंड अधिकारी महो. निम्बाहेड़ा | 9/4/25 | योगेन्द्र |

प्रपत्र पा-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)


# जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि )

ग्राम का नाम :- पिपलिया कलां
पटवार हल्का :- जलिया
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- निम्बाहेड़ा
तहसील :- निम्बाहेड़ा
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 276
खाता संख्या पुराना :- 265

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2077-2080
जमाबंदी 2077 ( वर्ष 2020 ) से स्थायी

**काश्तकार का नाम :-**

1. आकाश पारख पुत्र पारस मल पारख हिस्सा- पूर्ण जाति- जैन मकान संख्या- 00, कॉलोनी- बड़ा होली थडा, क्षेत्र/स्थान- निम्बाहेड़ा, शहर- निम्बाहेड़ा, पिन कोड- 312601, ज़िला - CHITTORGARH,राज्य- RAJASTHAN खातेदार,

| खसरा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण | | कृषक द्वारा संदत्त लगान | सिंचाई के साधन | अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0.1200 | बारानी 3 | 0.1200 | 0.84 | | स्वीक्रत नामांतरकरण : 330 06/07/2022रहनमुक्त | |
| 890/58 | 0.8600 | बारानी 3 | 0.8600 | 6.02 | | स्वीक्रत नामांतरकरण : 338 05/12/2022बेचान | |
| 891/54 | 0.1100 | बारानी 4 | 0.1100 | 0.55 | | स्वतः स्वीक्रत नामांतरकरण : 457 16/04/2025बेचान (रजि.न. 202503126101695) | |
| **कुल खसरे -3** | **1.0900** | | | **7.4100** | | | |

**आवेदक की सूचना :-**

आवेदक का नाम - 0
प्रतिलिपि सं. - 144932
दिनाँक व समय -12/Jan/2026 03:09:00 PM

पता - 0
आई.पी. - 157.48.193.228
नक़ल जारी करने का स्थान - निम्बाहेड़ा

यू.एस.एन - 22136421042764572

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=22136421042764572

# कार्यालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

क्रमांक/राजस्व/2025/1803. दिनांकः– 08/10/2025.

प्रेषिति,

**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,**
**निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज0)**

विषयः–खातेदारी आराजीयात में दखलअन्दाजी से रोकने बाबत्
प्रसंगः– श्रीमान के पत्रांक/राजस्व/2025/106 दिनांक 09.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में श्री आकाश पारख (ओर से श्री विपुल शारदा) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ, जिसकी जांच पटवार हल्का जलिया से करवाई गई। पटवार हल्का जलिया द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पिपलियाकलां पटवार हल्का जलिया के आराजी संख्या 890/58, 56, 891/54 व 57 में परिवादी द्वारा जांच हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी के नाम दर्ज आराजी संख्या 56 रकबा 0.12 हैक्टेयर के उत्तरी–पूर्वी कोने में एक कच्ची पत्थरों की झोपडी बनी हुई है, जिसमें श्यामलाल पिता श्रीलाल कंजर व उसकी पत्नि मांगीबाई दोनों निवास करते है। उक्त झोपडी परिवादी की जमीन में बनी हुई है।

अतः मूल ही रिपोर्ट पटवार हल्का जलिया श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार
निम्बाहेड़ा, जिला: चित्तौड़गढ़ (राज.)

रिपोर्ट प० ह० जलिया

सेवामें
श्रीमान तहसीलदार साहब
निम्बाहेड़ा

विषय :- खातेदारी आराजीयात में दखल अराजी संरोकन के क्रम में

महोदय

निवेदन है कि श्रीमान के उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/108 दिनांक 03/04/25 के क्रम में ग्राम-जलिया कांकड़ में आराजी नं. 890/58, 56, 891/54 व 57 में परिवादी द्वारा उक्त आवेदन-पत्र की जांच की गई जांच करने पर पाया गया कि परिवादी के आराजी नम्बर 56 रकबा 0.12 हे. के उत्तरी पूर्वी कोने में एक कच्ची पत्थर से झोपड़ी बनी हुई है जिसमें श्याम लाल पि. श्रीलाल कंधर व उनकी पत्नी मांगी बाई दोनों निवास करते हैं उक्त झोपड़ी परिवादी की जमीन में बनी हुई है अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में उचित आदेशार्थ पेश है।

पटवारी
पटवार मण्डल...जलिया
तह. निम्बाहेड़ा (राज.)

राजस्थान–सरकार

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)**

क्रमांकः राजस्व / 2025 / 106 दिनांक 09.04.2025

निमित्त,

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा।

विषय :– खातेदारी आराजीयात मे दखलअन्दाजी से रोकने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री आकाश पारख ( ओर से श्री विपुल शारदा) द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खरीदशुदा आराजीयात वाके मौजा पिपलिया कलां पटवार हल्का जलिया की आराजी नं. 890 / 58, 56, 891 / 54 एवं 57 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1000 हैक्टैयर भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी जरिये इकरारनामा खातेदार श्री विपुल शारदा पिता श्री सुरेश प्रकाश शारदा से क्रय कर रखी है उक्त भूमि पर कंजर और कीर समुदाय के कुछ व्यक्ति अनावश्यक दखलअन्दाजी करते है।

अतः आप आपसी समन्वय स्थापित करते हुए, तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे, आप द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही की इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करे।

09/4/25

(विकास पंचोली)
**उपखण्ड अधिकारी**
**निम्बाहेड़ा**

Email: sdmnimbahera@gmail.com
Phone: 01477-220002